माननीय दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष

याचिका सं.:

विषय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के अंतर्गत पिछले वित्तीय बहुवर्षीय नियंत्रण अवधि 2007 – 08 तथा वित्तीय 2011 – 12 के लिए यथातथ्यीकरण करने के लिए ऊर्जादर याचिका तथा अनुवर्ती ऊर्जादर निर्धारण आदेश में इसके संशोधन के प्रभाव

और

विषय **प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

पंजीकृत कार्यालय "हिमाद्रि" राजघाट पावर हाउस काम्प्लेक्स,

नई दिल्ली –110002

याचिकाकर्ता

उपरोक्त नामक आवेदक ससम्मान प्रस्तुत करता है

तालिका की विषय सूची

अध्याय 1 : – पृष्ठभूमि 6

1.1 प्रस्तावना 6

1.2 कंपनी का संक्षिप्त परिचय 8

अध्याय 2 : निवेदन 10

2.1 निवेदन योजना 10

2.2 निवेदनों का संक्षिप्त विवरण 10

अध्याय 3 : परिवर्तनीय लागत का अनुमान 12

3.1 प्रचालन हेतु प्रतिमान 12

3.2 सकल उत्पादन और शुद्ध उत्पादन 16

अध्याय 4 : स्थायी लागत का अनुमान 17

4.1 स्थायी लागत के लिए मानदंड 17

4.1.1 पूंजीगत व्यय 18

4.2 परिचालन एवं रखरखाव व्यय 22

4.3 ऋण पर ब्याज 22

4.4 मूल्यह्रास 24

4.5 अंश पर लाभांश 25

4.6 कार्यशील पूंजी पर ब्याज 26

4.7 नियत ईंधन लागत 27

4.8 प्रगति पावर स्टेशन–1 की वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत 28

अध्याय 5: प्रार्थना 30

5.1 प्रार्थना ....

तालिकाओं की सूची

तालिका 1 : प्रगति पावर स्टेशन–1 हेतु स्टेशन ऊष्मादर (किकै / कि.वा.घंटा)

तालिका 2 : प्रगति पावर स्टेशन–1 हेतु उपलब्धता (प्रतिशत)

तालिका 3 : बन्द चक्र में आन्तरिक विद्युत खपत (प्रतिशत)

तालिका 4 : सकल और शुद्ध उत्पादन

तालिका 5 : नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय

तालिका 6 : परिचालन तथा रखरखाव व्यय

तालिका 7: ब्याज शुल्क

तालिका 8 : मूल्यह्रास

तालिका 9 : मूल्यह्रास के मद में अग्रिम राशि

तालिका 10: अंश पर लाभांश

तालिका 11: कार्यशील पूंजी पर ब्याज

तालिका 12: नियत ईंधन लागत

तालिका 13: कुल वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत

तालिका 14: कुल वार्षिक स्वीकृत स्थायी लागत

तालिका 15: स्थायी लागत पर अतिरिक्त प्रभाव

अध्याय 1 – पृष्ठभूमि

यह अध्याय इस याचिका की पृष्ठभूमि से संबंधित हैं।

1.1 प्रस्तावना

1. विद्युत अधिनियम 2003 दिनांक 10 जून, 2003 को भारतीय विद्युत अधिनियम –1910, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 और ई.आर.सी. अधिनियम, 1998 रद्द करते हुए अधिसूचित किया गया था। ऊर्जादर निर्धारण संबंधित प्रावधानों में, राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) का मार्गदर्शन राष्ट्रीय विद्युत नीति, राष्ट्रीय ऊर्जादर निर्धारण नीति और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया जाएगा। विद्युत अधिनियम की धारा 86 (1) (क) के अनुसार राज्य आयोग राज्य के भीतर थोक, भारी मात्रा में या खुदरा जैसी भी स्थिति है में विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, पारेषण और चक्रण हेतु ऊर्जादर निर्धारण का कार्य करेगा। उत्पादन, पारेषण और वितरण हेतु ऊर्जादर निर्धारण पृथकतः निर्धारित किया जाएगा।
2. विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 61 में ऊर्जादर निर्धारण विनियमन के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है:–

   "उपयुक्त आयोग, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ऊर्जादर के निर्धारण हेतु निबंधन और शर्तें विनिर्दिष्ट करेगा और ऐसा करने में, निम्नलिखित द्वारा मार्गदर्शित होगा, नामतः :–

   (क) उत्पादन कंपनियों और पारेक्षण लाइसेंसी हेतु लागू ऊर्जादर के निर्धारण के लिए केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट सिद्धांत और क्रियाविधियां;

   (ख) विद्युत का उत्पादन, पारेषण, वितरण और आपूर्ति वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संचालित किया जाए।

   (ग) कारक जो प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता, संसाधनों का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, श्रेष्ठ कार्यप्रदर्शन और इष्टतम निवेशों को प्रोत्साहन देते हैं;

   (घ) उपभोक्ता हितों का संरक्षण और उसी के साथ न्यायोचित ढंग से विद्युत लागत की वसूली;

   (ङ) कार्यदक्षता को प्रोत्साहित करनेवाले सिद्धांत;

   (च) बहु वर्षीय ऊर्जादर निर्धारण सिद्धांत;

(छ) ऊर्जादर निर्धारण सतत विद्युत आपूर्ति लागत दर्शाता है, कि ऊर्जादर निर्धारण निरंतरता के साथ विद्युत आपूर्ति की लागत दर्शाता है और उपयुक्त आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ढंग में क्रॉस–सब्सिडीज में भी कमी लाता है;]

(ज) ऊर्जा के नवीनेय स्रोतों से विद्युत के उत्पादन और सह–उत्पादन को प्रोत्साहन;

(झ) राष्ट्रीय विद्युत नीति और ऊर्जादर निर्धारण नीति :

प्रावधान किया जाता है कि विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948, विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम, 1998, और अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमन जैसे कि वे निर्धारित तिथि से तत्काल पूर्व विद्यमान थे, एक वर्ष या इस धारा के अधीन ऊर्जादर के निबंधन एवं शर्तें निर्धारित किए जाने तक, जो भी पूर्वतर है, लागू रहेंगी"।

3. दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (इसमें आगे "आयोग" के रूप में संदर्भित) ने "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन ऊर्जादर के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियमावली, 2011" दिनांक 14.12.2007 को अधिसूचित की है, जिसमें नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के लिए निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

4. माननीय आयोग ने बहुवर्षीय ऊर्जादर निर्धारण सिद्धांत नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 और अगले वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु लागू किए थे। पीपीसीएल ने 13 अप्रैल, 2011 को वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए प्रगति पावर स्टेशन–I के लिए कुल राजस्व मांग के अनुमोदन तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक के चार वर्षों की अवधि हेतु ऊर्जादर निर्धारण के यथा तथ्यीकरण हेतु याचिका प्रस्तुत की थी। माननीय आयोग ने दिनांक 26.08.11 को अपना आदेश जारी किया है तथा वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए ऊर्जादर का निर्धारण किया है।

5. माननीय आयोग ने "दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन ऊर्जादर के निर्धारण हेतु निबंधन एवं शर्तें) विनियमावली, 2011" अधिसूचित की है, जिसमें नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक ऊर्जादर निर्धारण के लिए निबंधन एवं शर्तें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

6. पीपीसीएल यह याचिका वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 तक हेतु कुल वार्षिक राजस्व मांग (एआरआर) तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की पूर्व नियंत्रण अवधि के लिए यथातथ्यीकरण हेतु प्रस्तुत कर रहा है।

7. माननीय आयोग ने अपने आदेश को 13.07.2012 को पारित किया है तथा ऊर्जादर का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2012 – 13 से वित्तीय वर्ष 2014–15 की नियंत्रण अवधि के लिए किया है तथा कहा कि यथातथ्यीकरण पिछली नियंत्रण अवधि के अंत पर की जाएगी अर्थात वित्तीय वर्ष 2011 – 12 जब लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुतिकरण के लिए उपलब्ध होंगे। टैरिफ आदेश का सबंधित उदृत निम्न हैः

"1.27 बहुवर्षीय संरचनाकार्य के अंतर्गत आयोग ने अनुमान लगाया है कि नियंत्रण अवधि के लिए 23 फरवरी 2008 को जारी बहुवर्षीय आदेश में प्रत्येक वर्ष के लिए याचिका कर्ता ने वार्षिक वित्त ज़रूरत का अनुमान लगाया है (इसके बाद इसे बहुवर्षीय आदेश के नाम से जाना जाए।)। आयोग ने अपने आदेश दिनांक 10 मई 2011 के आदेश में बहुवर्षीय नियमों को तथा नियंत्रण अवधि को मार्च 31, 2012 तक बढ़ाया है। वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए वार्षिक वित्त ज़रूरत आयोग के 26 अगस्त 2011 के ऊर्जादर निर्धारण आदेश के अनुसार अनुमोदित हो चुका है। बहुवर्षीय ऊर्जादर निर्धारण नियम 2007 के अनुसार, वित्त तथा पूंजीकरण सहित वास्तविक पूंजी निवेश के लिए यथातथ्यीकरण परीक्षित लेखों के आधार पर तथा बहुवर्षीय नियमों के अनुसार नियंत्रण अवधि के अंत में किए जाएंगे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 तक यथातथ्यीकरण नियंत्रण अवधि के अंत में किया जाएगा जब याचिकाकर्ता के लेखा परीक्षित लेखा उपलब्ध होंगे।

8. माननीय आयोग ने दिनांक 26.11.2012 के अपने आदेश में पूंजीकरण के विवरण को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जिनमें वित्त का विवरण, अचल परिसंपत्ति आदि का विवरण वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए देना है।
9. तद्नुसार, कंपनी यह याचिका है पीपीएस 1 के पूंजीव्ययों के यथातथ्यीकरण के लिए दायर कर रही है। तथा यह भी निवेदन करती है कि माननीय आयोग, राहत देने की अपनी शक्ति का उपयोग, जहां पर भी आवश्यक है वहां करे।

1.2 कंपनी का संक्षिप्त परिचय

1. "प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड" (पीपीसीएल) एक सरकारी कंपनी है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अभिप्राय के भीतर विद्युत उत्पादन का कार्य कर रही है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पूर्ण स्वामित्व की कंपनी है।

2. दिल्ली सरकार ने दिल्ली शहर में निर्वाचित विद्युत आपूर्ति के लिए त्वरित आधार पर 330 मेगावाट संयुक्त चक्र गैस आधारित प्रगति पावर प्रोजेक्ट–1 की स्थापना की है। यह विद्युत अधिनियम की धारा 2(28) के तहत परिभाषित उत्पादन कंपनी है।

3. पीपीसीएल बवाना में 1500 मेगावाट (नामांतक) प्रगति–3 संयुक्त चक्र संयंत्र भी स्थापित कर रही है। इस स्टेशन की एक इकाई, का 14.12.2012 को वाणिज्यिक उत्पादन घोषित किया गया है। इस स्टेशन में उत्पादित बिजली दिल्ली, हरियाणा और पंजाब राज्य को बेची जाती है। चूंकि, यह एक अंतर्राज्यीय उत्पादन केंद्र है, अतः इस केंद्र का ऊर्जादर निर्धारण केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना है।

4. दिल्ली विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पूर्ववर्ती दिल्ली विद्युत बोर्ड दिल्ली विधुत बोड़ के सुधार और पुर्नगठन किया, जो कि एक सांविधिक अंतरण योजना के माध्यम से कार्यान्वित किया गया। अंतरण स्कीम के अधिसूचित नियमों में डीवीबी के पुर्नगठन हेतु इसकी संपत्तियों, आस्तियों, देयताओं इत्यादि के अंतरण के लिए भी प्रावधान किया गया था। अंतरण योजना में पूर्वतः दिल्ली विद्युत बोर्ड को पांच कंपनियों के रूप में विभाजित किया गया था। पीपीसीएल ने 01.07.2002 की प्रभावी तिथि से प्रगति पावर स्टेशन–1 से संबंधित कतिपय आस्तियों और देयताओं को भी पूर्वतः दिल्ली विद्युत बोर्ड से अधिग्रहीत किया है।

अध्याय 2 : निवेदन

1. इस अध्याय में माननीय आयोग के समक्ष की गई प्रार्थनाओं के समर्थन में निवेदन के प्रारूप का ब्यौरा दिया गया है।

2.1 निवेदन योजना

1. प्रगति पावर स्टेशन–1 इस याचिका के समर्थन में माननीय आयोग के समक्ष निम्नानुसार निवेदन करने का प्रस्ताव करता है:

- प्रगति पावर स्टेशन–1 हेतु प्रचालन मापदंड
- प्रगति पावर स्टेशन–1 हेतु वित्तीय मापदंड
- पूंजी जोड़ने पर वास्तविक व्यय का यथातथ्यीकरण तथा प्रगति पावर स्टेशन –1 के लिए स्थायी लागतों पर इसके प्रभाव
- प्रार्थना

2.2 *निवेदनों का संक्षिप्त विवरण*

याचिकाकर्ता ने माननीय आयोग से निम्न तथ्यों पर वर्तमान ऊर्जादर निर्धारण याचिका में पूंजी व्यय यथातथ्यीकरण करते समय विचार करने का निवेदन किया है:

- याचिकाकर्ता द्वारा वर्ष 2007 की याचिका में वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2010 – 11 की बहुवर्षीय ऊर्जादर निर्धारण अवधि के लिए कोई भी पूंजीगत व्यय प्रस्तुत नहीं किया गया है। हालांकि याचिकाकर्ता को प्लांट के सुगम संचालन के लिए पूंजीगत पर कुछ आवश्यक व्यय दिया गया है।
- माननीय आयोग ने दिनांक 26.08.2011 के अपने आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2010 – 11 के लिए परिचालन तथा रखरखाव व्यय संशोधित किया हैं। हालांकि इसके आवश्यक प्रभावों को वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2010 – 11 तक अवधि के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना करते समय माननीय आयोग द्वारा गिना नहीं गया है।
- 2010 – 11 के दौरान ईंधन की लागत में पिछली नियंत्रण अवधि के दौरान वृद्धि हुई है। तदनुसार कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी उसी अनुसार बढ़

गई है अतः वित्तीय वर्ष 2010 – 11 के लिए वास्तविक ईंधन लागत में वृद्धि हुई, 80 प्रतिशत यह गणना, 2007 के अधिनियम के अनुसार की गयी है!

- संरक्षणों तथा अधिशेषों से अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था की गई है। अंश को अतिरिक्त पूंजी का 30 प्रतिशत माना गया है तथा अतिरिक्त पूंजी का 70 प्रतिशत शर्त के अनुसार ऋण के रूप में, उत्पादन दर नियम 2007 के अनुसार।
- अंश पर लाभ में अतिरिक्त पूंजी, क्षरण, ऋण पर ब्याज, कार्यशील पूंजी पर ब्याज, आयकर में वृद्धि आदि के प्रभावों पर विचार किया गया है।
- निर्धारित लागत जैसे कि परिचालन तथा निगरानी व्ययों, निर्धारित ईंधन लागत, क्षरण के लिए अग्रिम को पहले ही माननीय आयोग द्वारा उसके दिनांक 14.12.2007 तथा 26.09.2011 के वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 तक की अवधि के लिए आदेश द्वारा अनुमोदित किया गया है।

प्रत्येक विषयगत मामले पर विस्तृत निवेदन संबंधित अध्याय में दिया गया है।

अध्याय 3: चर लागत का अनुमान

3.1 प्रचालन हेतु नियम

उत्पादन दर नियम 2007 के अनुसार माननीय आयोग द्वारा श्रेणीकृत किए गए कुछ मानक नियंत्रण योग्य मानक माने गए हैं। अधिनियम से सम्बंधित अनुच्छेद निम्नवत उदृत है!

प्रदर्शन लक्ष्य

5.7 आयोग वस्तुओं के लिए या मानकों के लिए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करेगा जिन्हें नियंत्रणयोग्य माना जाएगा तथा जिनमें सम्मिलित होंगे:

(क) स्टेशन ऊष्मादर

(ख) उपलब्धता

(ग) आन्तरिक ऊर्जा उपभोग

(घ) द्वितीयक ईंधन तेल खपत

(ड़) परिचालन तथा रखरखाव व्यय

(च) संयंत्र का भारगुणांक

(छ) वित्तीय लागत जिनमें ऋण की लागतें, अंश की लागतें तथा

(ज) क्षरण सम्मिलित हो

5.8 कोई भी वित्तीय क्षति जो कि खंड 5.7 के (ए) से (ई) में बताए गए मानकों के लिए लक्ष्यों पर खराब प्रदर्शन की वजह से होता है वह ऊर्जादर निर्धारण के माध्यम से वसूला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार इन मानकों के संबंध में बढ़िया प्रदर्शन के कारण वित्तीय लाभ को कंपनी के लाभ में जोड़ा जाएगा तथा ऊर्जादर निर्धारण में यथातथ्यीकरण नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता नियंत्रण अवधि 2007–98 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 तक की अवधि के लिए पीपीएस –1 के लिए वास्तविक मानकों को प्रस्तुत करता है।

3.1.1 स्टेशन ऊष्मादर

1. तालिका 1 में प्रगति पावर स्टेशन–1 के वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान हासिल की ऊष्मादर को दर्शाया गया है!

तालिका 1 : प्रगति पावर स्टेशन–1 हेतु स्टेशन ऊष्मादर (किकैल/किवाटघंटा)

विवरण	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
स्टेशन ऊष्मादर (संयुक्त चक्र)	1973	1967	1984	2003	1988
स्टेशन ऊष्मादर (खुला चक्र)	3130	3075	3084	3138	3095

2. याचिकाकर्ता ने अपने सभी प्रयास ऊष्मादर की शर्तों को पाने के लिए किए हैं जो कि माननीय आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के दौरान अनुमोदित हुए हैं। हालांकि यह हमेशा संभव नहीं होता कि संयुक्त चक्र मोड़ में 2000 किकैल/किवाट घंटा स्टेशन उष्मा खपत दर को हासिल किया जाए तथा न ही यह संभव है कि एक खुले चक्र में 2900 किकैल/किवाट घंटा को हासिल किया जाए जैसा कि दिल्ली विधुत विनियामक आयोग नियमों में बहुवर्षीय उर्जादर नियंत्रण अवधि 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं। इन टरबाइनों में मानित ऊष्मादर निर्माता द्वारा 1939 किकैल/किवाट घंटा संयुक्त चक्र मोड में तथा खुले चक्र मोड में 100 प्रतिशत भारगुणांकदर पर 2986 किकैल/किवाट घंटा दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने संयुक्त चक्र ऊष्मादर को 1978 किकैल/किवाटघंटा माना है।
3. माननीय आयोग ने अपने निर्माण विनियम 2011 में बिंदु 7.3 (ख) में नई प्रचालित की गई परियोजनाओं के लिए सकल ऊष्मादर परिकालपित किए गए ऊष्मादर के ऊपर 5 प्रतिशत की वृद्वि की अनुमति दी है।

4. प्रगति स्टेशन के लिये 5 प्रतिशत के सुधार मानक को लागू करने के बाद संयुक्त चक्र उष्मा दर 2036 किकैल/किवाटघंटा पर तथा खुला चक्र ऊष्मादर 3135 किकैल/किवाट घंटा की परिगणना होती है।

5. यह निवेदन किया जाता है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकार किया है कि तापीय विद्युत उत्पादन केंद्रों की प्रचालन दक्षता अथवा ऊष्मादर और निष्पादन प्राचलक अनेक कारकों पर निर्भर होते हैं, जो मोटे तौर पर नीचे दिए अनुसार वर्गीकृत किए जा सकते हैं :–

    क) प्रौद्योगिकी और उपकरण

    ख) परिवेशी स्थितियां

    ग) ईंधन की गुणवत्ता

    घ) संयंत्र प्रचालन और अनुरक्षण पद्धतियां

    ङ) यूनिट का आकार

6. यह आगे निवेदन किया जाता है कि माननीय आयोग ने याचिकादाता द्वारा इस आधार पर की गई प्रार्थना पर विचार नहीं किया है कि 359.577 मेगावाट राजीव गांधी संयुक्त चक्र पावर प्लांट कायमकुलम, इसी प्रकार के एनटीपीसी के 2 X 115.2 मेगावाट गैस टरबाइन + एक 129.1777 मेगावाट एसटीजी के लिए भी वही प्रतिमान नियत किए गए हैं। इस संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि कायमकुलम (केरल) तथा दिल्ली के परिवेशी और प्रचालन हालात अलग हैं। कायमकुलम (केरल) में वार्षिक औसत तापमान 28.5 डिग्री से. के मुकाबले दिल्ली का वार्षिक औसत तापमान 31.5 डिग्री से. है। विनिर्माता के उत्पादन में परिस्थितिक कारकों के प्रभाव अंकण से यह स्पष्ट है कि तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ऊष्मादर करीब 1.5 प्रतिशत बढ़ जाता है। आरजीसीसीपी हेतु डिजाइन किया गया ऊष्मादर 1928 किकै/किवाट है, जो प्रगति पावर स्टेशन–1 के दावे के ऊष्मा खपत दर से कम है।

7. वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–12 तक की अवधि के दौरान खुला चक्र की दशा में वास्तविक स्टेशन ऊष्मा खपत दर 3075–3138 के दायरे में रहा है। विनिर्माता की गारंटी 100 प्रतिशत पीएलएफ पर 2986 किकै/किवाट है। विनिर्माता द्वारा उपलब्ध कराई गई दावित संभावना के रूप में **संलग्नक–"क"** पर उपलब्ध है। यह निवेदन किया जाता है कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी गैस टरबाइन स्टेशनों के लिए प्रचालन प्रतिमानों के संबंध में तकनीकी मानकों पर दिसंबर, 2004 की रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 24 पर 100 प्रतिशत पीएलएफ पर खुला चक्र रेट 3075.3 किकै/किवाट विचारित किया है। माननीय आयोग ने खुला चक्र मोड में वास्तविक ऊष्मादर की अनुमति नहीं देने का कारण बताया है कि स्टेशन अधिकांश समय संयुक्त चक्र मोड पर चलने की उम्मीद है तथा खुला चक्र मोड विरल है। इस संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि एसएलडीसी द्वारा जब कभी मांग की जाती है तब स्टेशन केवल ओपन मोड में चलाया जाता है। यह हानि पूर्ण रूप से उच्चतर पक्ष में है।

8. यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सीईए द्वारा माने गए कारकों के अतिरिक्त, एक बेस केन्द्र होने के नाते पीपीएस –1 में उत्पादन के कम होने की समस्या आ रही है, एसएलडीसी के निर्देशों के आधार पर, कम पीएलएफ तथा अधिक एसएचआर में परिणित होता है।

9. स्टेशन सदैव कंबाइन्ड मोड में चलाने का प्रयास किया जाता है, परंतु एसएलडीसी के अनुरोध पर यदि ओपन मोड में चलाया जाता है तो स्टेशन को 3135 किकै/किवाट की उच्चतर दर की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता माननीय आयोग से निवेदन करता है कि खुले चक्र में हासिल की गई वास्तविक एसएचआर को वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के दौरान यथातथ्यीकरण किया जाए।

3.1.2 उपलब्धता

1. तालिका 2 में वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान प्रगति पावर स्टेशन–1 के लिए उपलब्धता दर्शाई गई है।

तालिका 2 : प्रगति पावर स्टेशन–1 हेतु उपलब्धता (प्रतिशत)

विवरण (प्रतिशत)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
संयंत्र उपलब्धता	84.08 (%)	85.41 (%)	85.50 (%)	86.31 (%)	92.61 (%)

2. कंपनी वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2010–11 तक की बहुवर्षीय टैरिफ अवधि के दौरान 80 प्रतिशत की लक्ष्य उपलब्धता हासिल करने में कामयाब रही है।

3.1.3 आंतरिक विद्युत खपत (एपीसी)

1. तालिका 3 में वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 तक की नियंत्रण अवधि के दौरान संयुक्त चक्र मोड में आंतरिक विद्युत खपत (प्रतिशत) हेतु हासिल किए गए। खुला चक्र की दिशा हेतु आंतरिक विद्युत खपत (प्रतिशत) 1 प्रतिशत मानी गई है।

तालिका 3 : संयुक्त दशा में आन्तरिक विद्युत खपत (प्रतिशत)

विवरण (प्रतिशत)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
आंतरिक विद्युत खपत (प्रतिशत)	2.90 (प्रतिशत)	2.88 (प्रतिशत)	2.92 (प्रतिशत)	2.90 (प्रतिशत)	2.70 (प्रतिशत)

2. संयुक्त चक्र में पीपीएस –1 के लिए नियत ऊर्जा खपत 3 % के अन्दर है जो माननीय आयोग द्वारा बताई गई शर्तों के अनुसार है।

3.2 सकल उत्पादन और शुद्ध उत्पादन

1. तालिका 4 वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 तक पीपीएस का सकल उत्पादन बताती है।

तालिका 4 : सकल और शुद्ध उत्पादन

विवरण	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
सकल उत्पादन (एमयू)	2366.74	2401.34	2452.93	2335.65	2560.02
स्टेशन आंतरिक विद्युत खपत (प्रतिशत)	2.84 (प्रतिशत)	2.78 (प्रतिशत)	2.90 (प्रतिशत)	2.80 (प्रतिशत)	2.65 (प्रतिशत)
शुद्ध उत्पादन (एमयू)	2299.53	2334.53	2381.81	2270.17	2492.13

अध्याय 4 : स्थायी लागत का आकलन

4.1 स्थायी लागत के लिए मानदंड

1. माननीय आयोग ने निम्न घटकों के आधार पर विद्युत उत्पादन केन्द्र की निर्धारित लागत को अनुमोदित किया है:

   क. प्रचालन और अनुरक्षण व्यय

   ख. ऋण पर ब्याज

   ग. मूल्यह्रास

   घ. मूल्यह्रास के लिए अग्रिम राशि

   ड. अंश पर अंशलाभ

   च. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

   छ. निर्धारित ईंधन लागत

2. उत्पादन दर अधिनियम 2007 के अनुसार, कुछ नियत मानकों को माननीय आयोग द्वारा नियंत्रणयोग्य नियतमानकों के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। अधिनियम के संबंधित उदृत निम्न हैं:

प्रदर्शन लक्ष्य

5.7 आयोग वस्तुओं के लिए या नियत*मानकों के लिए नियंत्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए लक्ष्यों को निर्धारित करेगा जिन्हें नियंत्रणयोग्य माना जाएगा तथा जिनमें सम्मिलित होंगे:*

(क) स्टेशन ऊष्मादर

(ख) उपलब्धता

(ग) आन्तरिक विद्युत ऊर्जा उपभोग

(घ) द्वितीयक ईंधन तेल खपत

(ड़) परिचालन तथा रखरखाव व्यय

(च) संयंत्र उपभोक्ता गुणांक

(छ) वित्तीय लागत जिनमें ऋण की लागतें, अंश पर अंश लाभ की लागतें तथा

(च) मूल्यह्रास सम्मिलित हो

5.8 कोई भी वित्तीय क्षति जो कि खंड 5.7 के (ए) से (ई) में बताए गए मानकों के लिए लक्ष्यों पर खराब प्रदर्शन की वजह से होता है वह विधुत दर के माध्यम से वसूला नहीं जा सकता है। इसी प्रकार इन नियत मानकों के संबंध में बढ़िया प्रदर्शन के कारण वित्तीय लाभ को कंपनी के लाभ में जोड़ा जाएगा तथा दरों में यथातथ्यीकरण नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ता नियंत्रण अवधि 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 तक की अवधि के लिए पीपीएस –1 के लिए वास्तविक नियत मानकों को प्रस्तुत करता है।

3. माननीय आयोग ने दिनांक 26.08.2012 के आदेश के माध्यम से पीपीएस 1 के लिए वित्तीय वर्ष 2011 –12 के लिए पूंजी व्यय को अनुमोदित किया है।

4. विधुत उत्पादन दर विनिमय के खंड 5.6 के अनुसार, वास्तविक पूंजी निवेश तथा अनुमोदित पूंजी निवेश के लिए यथातथ्यीकरण नियंत्रण अवधि के अंत में किए जाएंगे। संबंधित खंड को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"पूंजी निवेश
5.6 अधिनियम, नियमों तथा नीतियों के अनुसार, आयोग पूंजी निवेश को वर्तमान उत्पादन कंपनी के लिए अनुमोदित करेगा। निवेश योजना में आवश्यक पूंजीकरण अनुलग्नक तथा वित्तीय योजना होगी। आयोग नियंत्रण अवधि तथा प्रत्येक वर्ष के अंत में वास्तविक पूंजी निवेश की समीक्षा करेगा। वास्तविक पूंजी निवेश तथा अनुमोदित पूंजी निवेश मे समायोजन अवधि के अंत में किया जाएगा।

4.1.1 पूंजीगत व्यय

यह खंड विविध पूंजी योजनाओं में होने वाले व्ययों से संबंधित है। पीपीसीएल ने अभी तक योजना की कोई भी योजना माननीय आयोग को वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिए नहीं प्रस्तुत की है। क्योकि यह संयत्र नया है। तद्नुसार यहां पर कोई भी अनुमोदिक पूंजीगत व्यय योजना दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग के आदेश में नहीं थी। तथा माननीय आयोग ने अपने पत्र दिनांक 15.10.2009 के माध्यम से उद्यम संसाधन नियोजन पर अतिरिक्त पूंजी निवेश का अनुमोदन किया है। माननीय आयोग ने अपने आदेश दिनांक 26.08.11 के अपने आदेश के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए रू. 1.95 करोड़ के पूंजी व्यय की अनुमति दी है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि कंपनी ने अतिरिक्त पूंजी के लिए कोई भी ऋण नहीं लिया है तथा अपने आंतरिक धन को ही प्रयोग किया है। याचिकाकर्ता ने विनिमय के अनुसार नियंत्रण अवधि के लिए ऋण तथा अंश को 70:30 के अनुपात में माना है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने संयंत्र के सुचारू रुप से संचालन के लिये अनुमोदित पूंजी व्यय के अतिरिक्त भी व्यय किया है।

अतिरिक्त पूंजी व्ययों का सारांश नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से 2011 – 12 तक निम्नानुसार है:

तालिका 5: नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय

विवरण (रू. लाख में)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
फर्नीचर एवं फिटिंग	0.66	1.20	0.90	1.45	56.15
संचार उपकरण		0.10			
अन्य इमारत			30.79	5.14	
जनरेटर असेंबली एक्साइटर		383.61			
गैस टरबाइन एटमाइजिंग एअर कम्प्रेसर		24.84			
ईआरपी सॉफ्टवेयर			205.00		11.99
कम्प्यूटर हार्डवेयर			43.00		25.13
लीक प्रूफ बॉडी हाइड्रॉलिक डम्पर			13.04		
उच्च दबाव ब्यालर पंप की गति नियंत्रण के लिए चाल घटाना					95.35
` पी पी एस–1 संयंत्र तक गैसटरबाईन से पानी की पाईपलाईन बिछाना					16.00
प्रयोगशाला उपकरण					17.30
फायर टेंडर					39.55
कुल	**0.66**	**409.75**	**292.73**	**6.59**	**261.47**

वित्तीय वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के लिए मुख्य पूंजीगत व्यय का विवरण निम्नांकित हैं:

1. **जनरेटर असेम्बली एक्साइटर**

   पी पी एस–1 में एसटीजी एक्साइटर मे उच्च स्तर के स्पंदन की समस्या थी। इस समस्या का विश्लेषण केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान केंद्र के बाहरी विशेषज्ञ के साथ पीपीसीएल के सिविल अभियंत्रिकी विभाग द्वारा किया गया। यह पाया गया कि सिविल संरचना में कोई भी समस्या नहीं है। बाद में यंत्र बनाने वाले की अनुशंसा पर, बिना पता लगे स्पंदन की वजह से होने वाली घटना को सही करने के लिए एक पृथक एक्साइटर को खरीदने का निर्णय लिया गया। क्षतिग्रस्त एक्साइटर को नए खरीदे गए एक्साइटर के साथ बदला गया तथा क्षतिग्रस्त एक्साइटर की मरम्मत कराई गई।

2. **गैस टरबाइन एटमिसिंग एअर कम्प्रेसर**

   गैस टरबाइनों एअर कम्प्रेसर क्षतिग्रस्त हो गया था अतः उसे नए एटमाइजिंग एअर कम्प्रेसर को खरीदकर क्षतिग्रस्त कम्प्रेसर को बदला गया।

3. **अग्नि शमन केन्द्र तथा अस्थाई शेड**

पी पी एस–1 का अग्नि शमन दायित्व केन्द्रीय ओद्योगिक सुरक्षाबल को दिया गया है। केन्द्रीय ओद्योगिक सुरक्षाबल ने चौबीसों घंटे सुरक्षा के लिए अग्नि शमन दस्तों की नियुक्ति की है। अग्नि शमन उपकरणों के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक अग्नि नियंत्रण कक्ष भी परिसर में आवश्यक है। आरंभ में, अग्नि शमन केन्द्र के भवन को संयंत्र को बनाते समय नहीं बनाया गया था। केन्द्रीय ओद्योगिक सुरक्षाबल की अनुशंसा के बाद वित्तीय वर्ष 2008–10 के दौरान एक अग्नि शमन केन्द्र तथा शेड का निर्माण कराया गया।

4. **उद्यम संसाधन नियोजन साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर**

आईपीजीसीएल तथा पीपीसीएल ने उद्यम संसाधन योजना वित्तीय वर्ष 2009–10 में क्रियान्वित की थी। पीपीसीएल ने माननीय आयोग का अनुमोदन कंपनी में इसके क्रियान्वयन के लिए मांगा था। वित्तीय वर्ष 2009–10 में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर को स्थापित करने की लागत 12.79 करोड़ रू. दोनों कंपनियों में थी। पीपीएस –1 में रू. 2. 48 करोड़ की अनुमानित राशि को पीपीएस 1 की (330मेगावाट) स्थापित क्षमता तथा पीपीएस 3 (1371मेगावाट) की स्थापित क्षमता के आधार पर लिया जा चुका है। कंपनी ने बाद में वित्तीय वर्ष 2011–12 में **उद्यम संसाधन नियोजन** सॉफ्टवेयर त

था हार्डवेयर के लिए रू. 37.119 लाख की अतिरिक्त पूंजी लगाई है।

5. **ना चूनेवाला हाइड्रॉलिक डम्पर**

प्रगति पावर स्टेशन में सेन नर्सिंग होम तथा दिल्ली गेट नाले में मलजल सुधार संयंत्र से निकले गए पानी को साफ किया जाता है तथा संयंत्र में ठंडा करने वाले पानी के रूप में तथा ब्यॉयलर्स के लिए खनिज रहित पानी के रूप में प्रयोग किया जाता है। साफ प्रक्रिया में चूने का प्रयोग होता है जिससें परिणामतः बहुत कीचड़ का निर्माण होता है। इस कीचड़ को रिंग रोड के रास्ते से ना चूनेवाले डम्पर में डालकर भेजा जाता है, क्योंकि इस रास्ते से होकर विशिष्ट तथा अतिविशिष्ट व्यक्ति गुजरते हैं। कीचड़ को कंचनपुरी के राजघाट पावर हाउस के राख के तालाब में फेंका जाता है। अतः स्टेशन ने कीचड़ को लाने ले जाने के लिए एक ना चूनेवाली बॉडी हाइड्रॉलिक डम्पर को खरीदा है।

6. उच्चदाब ब्यॉयलर पम्प की गति नियंत्रण

योजना की लागतः	रू. 98,00,000 / –
कार्यान्वयन अवधिः	वित्तीय वर्ष 2011 – 2012

इस योजना का अनुमोदन माननीय आयोग द्वारा वर्ष 2011–12 के वित्तीय वर्ष ऊर्जादर निर्धारण आदेश में किया गया। पीपीसीएल ने सामग्री की आपूर्ति के लिए रू. 95.35 लाख का आदेश दे दिया है। इस योजना का क्रियान्वयन किया जा चुका है। परन्तु इस

विषय में निवेदन है कि वर्तमान लेखा नीतियों तथा लेखा परीक्षा की सलाह को ध्यान में रखते हुए, योजना पर व्यय को पूँजीगत व्ययनी मद मरम्मत तथा रखरखाव के अंतर्गत रखा गया है। इस विषय में माननीय आयोग के आदेश उदाहरण निम्नवत है।

"4.60 आयोग का यह मत हैं चूंकि यह राशि पहले ही याचिकाकर्ता को सम्बंधित वर्षों के लिए पूंजी व्यय (वित्तीय लागत तथा क्षरण के साथ) के रूप में दी जा चुकी है, अतः इसका दावा मरम्मत तथा रखरखाव के लिए नहीं किया जा सकता है। इससे संबंधित वर्षों के यथातथ्यीकरण के लिए आई पी जी सी एल के लिए एक पूंजी व्यय के रूप में माना जाएगा।

7. गैस टरबाइन कूलिंग सिस्टम में प्लेट टाइप हीट एक्स्चेंजर को लगाना

योजना की अनुमानित लागतः रू.76.04 लाख

कार्यान्वयन अवधिः वि.वर्ष 2012-13

इस योजना का अनुमोदन माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2011 – 12 के लिए रू. 80 लाख का हुआ है। हालांकि इस योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2012 – 13 में रू. 76.04 लाख के लिए हुआ था।अतः माननीय आयोग से वित्तीय वर्ष 2012 – 13 के दौरान पूंजी व्यय अनुमोदित करने का अनुरोध है।

8 **पीपीसीएल के लिये** अशुद्ध जल **के लिए गैस टरबाइन संयंत्र के उपप्लांटक क्षेत्र से** अशुद्ध **पानी की लाईन बिछाना**

योजना की अनुमानित लागतः– रू.1600, 124/-

कार्यान्वयन अवधि :– वि.वर्ष 2011 – 12

इस योजना का अनुमोदन माननीय आयोग द्वारा वित्त वर्ष 2011 – 12 के लिए किया था तथा वित्त वर्ष 2011 – 12 के दौरान अनुमति के अनुसार क्रियान्वयन किया गया है।

9. **प्रयोगशाला उपकरण**

प्रयोगशाला उपकरणों में दो पीएच मीटर सम्मिलित हैं जिनकी लागत रू. 46,972 है, दो कंडक्टिविटी मीटर जिनकी कीमत रू. 88,455 रू. प्रति है, दो ध्वनि मापक यंत्र जिनकी कीमत रू. 71,474 प्रति है तथा एक इंफ्रारेड थर्मल इमेज कैमरा जिसकी कीमत रू. 13,16,250 रू. है। इन उपकरणों का प्रयोग केन्द्र के जल सोधन संयंत्र में जल नियतमानकों की दैनिक निगरानी के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड थर्मल कैमरे का प्रयोग स्विच यार्ड की इंफ्रारेड स्कैनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण सुरक्षात्मक रखाखाव तथा 33 केवी, 66 केवी, 220 केवी, ट्रांसफॉर्मर स्विच यार्ड आदि में

त्रुटियों का जल्द पता लगाने में सहायता करते हैं जो कि उपकरण को खराब होने से बचाता है।

10. अग्नि शमन वाहन

पीपीएस 1 में कोई भी अग्नि टेंडर नहीं था। आपात स्थिति में अग्नि शमन वाहन की सुविधा जी टी पी एस तथा दिल्ली अग्नि शमन केंद्र में उपलब्ध थी। हालांकि पीपीएस 1 में अग्नि शमन वाहन की उपलब्धता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा अग्नि शमन परिचालन प्रतिक्रिया, को सुनिश्चित करते हुए एक अग्नि शमन वाहन को पीपीएस 1 के लिए खरीदने के लिए आवश्यक है। हालांकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के दौरान रू. 39.55 लाख का अग्नि शमन केन्द्र वाहन खरीदा है।

11. **फर्नीचर तथा फिटिंगः**

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2011 – 12 में फर्नीचर तथा फिटिंग पर रू. 56.15 लाख की अतिरिक्त पूंजी लगायी है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने फर्नीचर तथा फिक्सचर की खरीद पर वित्तीय वर्ष 2007 –08 से वित्तीय वर्ष 2010 – 11 की थोड़ी अतिरिक्त पूंजी लगायी है।

4.2 परिचालन तथा रखरखाव व्यय

माननीय आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के दौरान आदेश दिनांक 26.08.11 के माध्यम से परिचालन तथा रखरखाव की अनुमादित की गयी राशि सारांश तालिका सं. 6 के अनुसार है।

तालिका 6ः परिचालन तथा रखरखाव व्यय

(रू. करोड़)

	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
अनुमोदित	54.81	58.49	72.36	69.88	61.40

4.3 ऋण पर ब्याज

1. माननीय आयोग ने ऋण पर वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के दौरान प्रभावों के सहित ब्याज को अनुमोदित किया है। याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2007 – 08 तथा वित्तीय वर्ष 2010 – 11 के दौरान भी कुछ अतिरिक्त पूंजी गत व्यय किया है जिसका प्रभाव, आदेश दिनांक 14.12.2007 में नहीं दर्शाया गया है। अतिरिक्त पूंजी का व्यय संरक्षण

तथा अधिशेष में आंतरिक वास्तविक खातों से किया गया है। कंपनी ने अतिरिक्त पूंजी के लिए किसी भी बाहरी संस्था से किसी भी प्रकार का कोई भी ऋण नहीं लिया है।

2. याचिकाकर्ता ने अधिनियम मानकों के अनुसार सम्बंधित वर्षों के दौरान अतिरिक्त पूंजी पर 70 प्रतिशत तक का ऋण माना है। ब्याज दर को पीएफसी की उधार लेने की दर के आधार पर 11.50 प्रतिशत माना गया है।
3. माननीय आयोग ने अतिरिक्त पूंजीगत व्यय 1.95 करोड़ रू. पर वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए 70 प्रतिशत के ऋण की अनुमति दी है परन्तु ब्याज की गणना 8.45 प्रतिशत की ब्याज दर से की गयी है। इस विषय में यह आग्रह पूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि इस दर पर कोई भी ऋण उपलब्ध नहीं है। दरअसल यह विद्युत ऋण अदायगी संस्थान की छूट वाली दर है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पीपीसीएल ने कार्यशील पूंजी का ऋण इलाहाबाद बैंक से 11.25 प्रतिशत की दर से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए लिया तथा पीपीसीएल द्वारा विद्युत ऋण अदायगी संस्थान से प्रगति 3 बवाना परियोजना के लिए लिया गया ऋण 10.50 प्रतिशत से 11.50 प्रतिशत तक है और जबकि यह विद्युत उत्पादन संस्थान ए+ श्रेणी में आता है। इस प्रकार ऋण की दर अन्य परियोजनाओं में अधिक है। अतः ऋण देने की 6.25 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक दर के आधार पर 8.45 प्रतिशत का महत्वपूर्ण औसत ब्याज दर संवितरण अवधि के आधार पर 2000 के दौरान परियोजना लागत के लिए उचित नहीं है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि निधि की अवसर लागत दर बहुत अधिक थी। अतः माननीय आयोग को 11.50 प्रतिशत तक की ब्याज पर यथातथ्यीकरण करने का निवेदन किया जाता है।
4. नियंत्रण अवधि के दौरान ब्याज शुल्क तालिका 7 में दिखाया गया है। विस्तृत गणना पत्रक इसमें संलग्न है तथा अनुलग्नक ग में चिन्हित किया गया है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि ब्याज तथा वित्तीय शुल्कों को निम्नानुसार यथातथ्यीकरण करे:

तालिका 7: ब्याज शुल्क

विवरण (करोड़ में रु.)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
यथातथ्यीकरण के अतिरिक्त प्रभाव	0.00	0.17	0.45	0.57	0.62
आयोग के आदेश में अनुमोदित दर	38.38	31.94	25.02	19.03	12.83
कुल ब्याज शुल्क	38.38	32.11	25.47	19.60	13.45

4.4 मूल्यह्रास

1. माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2007–08 की शुरुआत में 1031.57 करोड़ रु. का आरंभिक सकल अचल संपत्ति का अनुमोदन किया है और सैद्धांतिक रूप से कंपनी में उद्यमी संसाधन योजना प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन किया है। प्रगति पावर स्टेशन–1 में उद्यम संसाधन योजना के कार्यान्वयन के लागत का अंश, वित्तीय वर्ष 2009–10 में 2.48 करोड़ रू. था। उद्यम संसाधन योजना के अतिरिक्त, नियंत्रण अवधि के दौरान कुछ अन्य पूंजी निवेश किया गया है। पूंजी लागत का समायोजन वित्त वर्ष 2011–12 में केवल मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से किया गया है।

2. मूल्यह्रास, अचल संपत्तियों पर साल की शुरुआत में सीधी रेखा विधि के आधार पर लिया जाता है। मूल्यह्रास, वास्तविक लागत, अनुमानित उपयोगिता आयु और शेष उपयोगी आयु पर आधारित है।

3. वित्तीय वर्ष 2007–08 से वित्तीय वर्ष 2011–12 की नियंत्रण अवधि के दौरान मूल्यह्रास राशि, उत्पादन ऊर्जादर विनियम, 2007 माननीय आयोग द्वारा ऊर्जादर स्वीकृत औसत ह्रास 5.80 प्रतिशत किया गया है।

4. तद्नुसार, मूल्यह्रास को 5.80 प्रतिशत की दर से एक सीधी रेखा के आधार पर प्रयोग में निर्धारित परिसम्पित्तियों के औसत पर लिया गया है। विस्तृत गणना पत्रक संलग्न है तथा अनुलग्नक (घ) में चिन्हित किया गया है। माननीय आयोग से निवेदन है कि वह वित्तीय वर्ष 2007 – 08 तथा वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए निम्नानुसार मूल्यह्रास का यथातथ्यीकरण करें:

तालिका 8: मूल्यह्रास

विवरण (करोड़ रू में)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
यथातथ्यीकरण का अतिरिक्त प्रभाव	0.00	0.12	0.32	0.41	0.29
आयोग के आदेश द्वारा अनुमोदित राशि	59.86	59.86	59.86	59.86	59.92
कुल मूल्यह्रास	59.86	59.98	60.18	60.27	60.23

5. मूल्यह्रास के लिए अग्रिम वास्तविक ऋण के पुर्नभुगतान तथा वर्ष के दौरान वसूले गए मूल्यह्रास के बीच का अंतर है। आयोग द्वारा अनुमत मूल्यह्रास के मद में अग्रिम वित्तीय वर्ष 2007– 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिये निम्न प्रकार है:

तालिका 9: मूल्यह्रास के मद में अग्रिम राशि

(रू करोड़)

क्र. सं.	विवरण	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
1	ऋण का 1/10 भाग	67.05	67.05	67.05	67.05	68.42
2	ऋण पर ब्याज की गणना करने के लिये मानी गयी ऋण अदायगी राशि	67.53	67.53	67.53	67.53	67.53
3	उपर्युक्त न्यूनतम	67.05	67.05	67.05	67.05	67.53
4	घटाएं: साल के दौरान मूल्यह्रास	59.86	59.86	59.86	59.86	59.92
	क	**7.19**	**7.19**	**7.19**	**7.19**	**7.61**
5	ऋणों की संचयी अदायगी जैसा कि ऋण पर ब्याज तय करने में विचार किया गया	339.95	403.47	471.00	538.53	606.06
6	घटाएं: संचयी मूल्यह्रास	315.44	375.30	435.16	495.02	554.94
	ख	**20.50**	**28.17**	**35.84**	**43.50**	**51.11**
7	**मूल्यह्रास के मद में अग्रिम राशि**	**7.19**	**7.19**	**7.19**	**7.19**	**7.61**

4.5 अंश पर लाभांश

1. माननीय आयोग ने वित्तीय वर्ष 2007 – 08 के आरंभ में परियोजना के लिये 323.19 करोड़ रू. की अंश पूंजी को अनुमोदित किया है। इसके पश्चात अंश पूंजी को उत्पादन दर विनिमय, 2007 के अनुसार नियंत्रण अवधि के दौरान सकल पूंजी में 30 प्रतिशत की राशि के रूप में माना गया है।
2. माननीय आयोग ने उत्पादन विद्युत दर विनिमय, 2007 में 14.00 प्रतिशत अंश लाभ की कर उपरांत मूल दर निर्धारित की है।
3. अंश पर लाभांश का सारांश तालिका 10 में दिया गया है। विस्तृत गणना अनुलग्नक च में चिन्हित की गयी है।

तालिका 10: अंश पर लाभांश

(करोड़ रू)

कम सं	विवरण	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
आयोग के आदेश द्वारा अनुमोदित दर		**0.00**	**0.08**	**0.23**	**0.29**	**0.31**
आयोग के आदेश द्वारा अनुमोदित दर		**45.25**	**45.25**	**45.25**	**45.25**	**45.29**
अंश पर कुल लाभांश		**45.25**	**45.33**	**45.48**	**45.54**	**45.60**

तदनुसार माननीय आयोग से अंश पर लाभांश को उपरोक्त अनुसार यथातथ्यीकरण करने का अनुरोध किया जाता है।

4.6 कार्यशील पूंजी पर ब्याज

1. माननीय आयोग ने कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना निम्नांकित रूप में की है:

   - एक महीने के लिए ईंधन की लागत
   - एक महीने के लिए परिचालन एवं रखरखाव पर व्यय
   - दो महीने की औसत देय के समतुल्य प्राप्य
   - 6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ परियोजना लागत का 1 प्रतिशत मरम्मत एवं रख रखाव के पूंजी का खर्च

2. याचिकाकर्ता आगे निवेदन करता है कि माननीय आयोग ने विद्युत संय़त्र के लिए वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2010 – 2011 तक संचालन एंव मरम्मत पर व्ययों को अपने आदेश दिनांक 26.08.11 में संशोधित किया है। किंतु संचालन एंव मरम्मत पर व्ययों के आधार पर कार्यशील पूंजी में अंतर पर कोई प्रभाव एक माह के लिए तथा दो माह के लिए प्राप्य के लिए नहीं माना गया है। अतः संशोधित संचालन एंव रख रखाव व्यय के प्रभाव को वर्तमान ऊर्जा दर याचिका में कार्यशील पूंजी की गणना में मान लिया गया है।

3. याचिकाकर्ता निवेदन करता है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में ईंधन की लागत तेजी से बढी है। माननीय आयोग ने आरंभिक गैस दाम पर आधारित कार्यशील पूंजी आवश्यकता में एक महीने के लिए ईंधन की लागत और 2 महीने का प्राप्य निर्धारित किया है। इस विषय में यह निवेदन किया जाता है कि माननीय आयोग ने 80 प्रतिशत के भारगुणांक के आधार पर यह माना कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए रू. 215.26 करोड़ की लागत के ईंधन को माना है, जबकि वित्तीय वर्ष 2010 – 11 में 80. 44 प्रतिशत की भारगुणांक के आधार पर रू. 411.30 करोड़ की राशि ईंधन में लगी है। इससे यह इंगित होता है कि ईंधन लागत में 90 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। हालांकि माननीय आयोग ने ईंधन लागत में वृद्धि के लिए कार्यशील पूंजी में केवल 4 प्रतिशत तक की ही वार्षिक वृद्धि को माना है। इस विषय मे याचिकाकर्ता माननीय आयोग का ध्यान दिलाना चाहता है, कि वित्तीय वर्ष 2010–11 में 90 प्रतिशत से अधिक वास्तविक ईंधन की लागत में वृद्धि की पूर्ति करने के लिए 4 प्रतिशत की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार वर्तमान प्रस्तुतिकरण में वित्तीय वर्ष 2010 – 11 के लिए ईंधन की लागत में वृद्धि के लिए शर्तों के अनुसार 80 प्रतिशत भारगुणांक के अनुसार कार्यशील पूंजी के लिये मान कर गणना की गयी है। इस संर्दभ मे माननीय आयोग अपने दिनांक 14.12.2007 के आदेश मे निम्नवत आदेशित दिया हैः

"4.88 आयोग ने नियंत्रण अवधि के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की गणना के लिए अपनी गणना में ईंधन की लागतों में किसी भी प्रकार की वृद्धि को नहीं माना है। हालांकि ईंधन की लागत मे उतार चढ़ाव मूल्य वृद्धि समोयोजन्य विधि पद्धति के माध्यम से स्वतः ही संयोजित किए जाएंगे, आयोग इस के लिए कार्यशील पूंजी को यथातथ्यीकरण नहीं करेगा। अतः आयोग ने वित्तीय वर्ष 09, 10 तथा 11 के लिए ईंधन लागतों में वृद्धि के लिए 4 प्रतिशत की वार्शिक दर पर कार्यशील पूंजी की आवश्यकता मे वृद्धि की है।

इस संर्दभ में पुनः यह निवेदन है कि ईंधन की लागतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। अतः माननीय आयोग से निवेदन है कि वह वित्तीय वर्ष 2010 – 11 के लिए कार्यशील पूंजी आवश्यकता में बढ़ी ईंधन लागत के प्रभाव को अनुमत करें।

4. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि अन्य घटकों में अंतर जैसे कि अंश पर लाभांश, ऋण पर ब्याज, मूल्यह्रास आदि का भी प्रभाव प्राप्यों पर पड़ेगा।

5. ब्याज दर को माननीय आयोग द्वारा दिनांक 14.12.2007 के आदेश में वित्तीय वर्ष 2007 – 08, तथा आदेश दिनांक 26.08.2011 मे वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार माना गया है।

6. उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना निम्नानुसार की गई है। विस्तृत गणना पत्रक तथा अनुलग्नक छ में चिन्हित एंव संलगीय है। तदनुसार माननीय आयोग से अनुरोध है कि ब्याज तथा वित्तीय शुल्कों को निम्नानुसार यथातथ्यीकरण करें:

तालिका 11: कार्यशील पूंजी पर ब्याज

विवरण (करोड़ में रु.)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
कार्यशील पूंजी पर अतिरिक्त प्रभाव	**0.14**	**-0.19**	**3.69**	**44.47**	**0.23**
ब्याज दर %	12.75%	12.75%	12.75%	12.75%	13.00%
कार्यशील पूंजी के ब्याज पर अतिरिक्त प्रभाव	**0.02**	**-0.02**	**0.47**	**5.67**	**0.03**
कार्यशील पूंजी पर अनुमोदित ब्याज	**13.52**	**14.20**	**14.67**	**15.29**	**21.39**
कार्यशील पूंजी पर कुल प्रस्तावित संशोधित ब्याज	**13.54**	**14.18**	**15.14**	**20.96**	**21.42**

4.7 नियत ईंधन लागत

1. नियत ईंधन लागत को माननीय आयोग द्वारा दिनांक 14.12.2007 के आदेश तथा दिनांक 26.08.2011 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित किया गया है। ईंधन आपूर्ति के

मदमें स्थायी लागत वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12, आयोग द्वारा निम्नवत अनुमोदित है:

तालिका 12: नियत ईंधन लागत

विवरण	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
नियत ईंधन लागत (करोड़ रु.)	**2.23**	**2.29**	**2.36**	**2.43**	**2.51**

4.8 प्रगति पावर स्टेशन–1 की वार्षिक वास्तविक स्थायी लागत

1. वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से 2011 – 12 तक की नियंत्रण अवधि के लिए कुल वास्तविक स्थायी लागत तालिका 13 में दर्शायी गई है। घटक अनुसार स्थायी लागत में अनुरक्षण एवं रख रखाव व्यय , मूल्यह्रास, के मद में अग्रिम तथा नियत ईंधन लागत सम्मिलित है, जैसा कि माननीय आयोग द्वारा अनुमत है।

तालिका 13: कुल वार्षिक वास्तविक नियत लागत

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	54.81	58.49	72.36	69.88	61.40
मूल्य – ह्रास	59.86	59.98	60.18	60.27	60.23
मूल्यह्रास के मद में अग्रिम	7.19	7.19	7.19	7.19	7.61
ऋण पर ब्याज	38.38	32.11	25.47	19.60	13.45
अंश पर लाभांश	45.25	45.33	45.48	45.54	45.60
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	13.54	14.18	15.14	20.96	21.42
नियत ईंधन लागत	2.23	2.29	2.36	2.43	2.51
कुल नियत लागत	**221.26**	**219.57**	**228.18**	**225.87**	**212.22**

2. वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए आयोग द्वारा दिंनाक 26.08.12 के आदेशानुसार अनुमोदित **नियत** लागत का सारांश तालिका 14 में निम्नानुसार दिया गया है:

तालिका 14: कुल वार्षिक स्वीकृत नियत **लागत**

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
प्रचालन एवं रखरखाव व्यय	54.81	58.49	72.36	69.88	61.40
मूल्य – ह्रास	59.86	59.86	59.86	59.86	59.92
मूल्यह्रास के मद में अग्रिम	7.19	7.19	7.19	7.19	7.61
ऋण पर ब्याज	38.38	31.94	25.02	19.03	12.89
अंश पर लाभांश	45.25	45.25	45.25	45.25	45.29
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	13.52	14.20	14.67	15.29	21.39
नियत ईंधन लागत	2.23	2.29	2.36	2.43	2.51
कुल स्थायी लागत	**221.24**	**219.22**	**226.71**	**218.93**	**211.00**

3. **नियत** लागत पर अतिरिक्त प्रभाव निम्न हैं:

तालिका 15: नियत **लागत पर अतिरिक्त प्रभाव**

विवरण (रू करोड़)	2007-08	08-09	09-10	10-11	11-12
वास्तविक वार्षिक **नियत** लागत	**221.26**	**219.57**	**228.18**	**225.87**	**212.22**
अनुमोदित वार्षिक **नियत** लागत	221.24	219.22	226.71	218.93	211.00
अंतर	**0.02**	**0.35**	**1.47**	**6.94**	**1.22**

उपरोक्त प्रस्तुतिकरणों के आधार पर, माननीय आयोग से निवेदन है कि नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2007 –08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 13 तक पीपीएस 1 के लिए कुल **नियत** लागत को अतिरिक्त पूंजीगत व्ययों में प्रभावों के साथ उपरोक्त के अनुसार यथातथ्यीकरण किया जाए।

अध्याय 5: प्रार्थना

5.1 प्रार्थना

निवेदक आदरपूर्वक माननीय आयोग से निवेदन करता है,;

- इस याचिका को स्वीकार करने के लिए।
- वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 तक वास्तविक अतिरिक्त पूंजी का अनुमोदन इस के लिये।
- खुले चक्र में गैसटरबाईन को चलाने वाली ज्यादा उष्मादर यथातथ्यीकरण करने के लिए !
- वित्तीय वर्ष 2007 – 08 से वित्तीय वर्ष 2011 – 12 के लिए **नियत** लागत यथातथ्यीकरण करने के लिये।
- उस अन्य किसी छूट को स्वीकार करने के लिए, जिसे माननीय आयोग उचित समझता हो। तथा इस याचिका के संदर्भ में समय–समय पर आपेक्षित अतिरिक्त निवेदनों, संकलनों और फेरबदल को स्वीकार करने के लिए।
- किसी भी अन्य आदेश को पारित करने के लिए, जिसे माननीय आयोग मामले की परिस्थितियों के तहत और न्याय के हित में सही और उचित समझता हो।